न्यायालय सहायक कलक्टर, (एस.डी.एम.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.–5/2017

उनवान

1. लाड देवी पत्नी लादूराम कुम्हार निवासी सुरास तहसील हुरड़ा

–वादीया

बनाम

1. महावीर पिता लहरू नाई निवासी सुरास तहसील हुरड़ा
2. प्रभु पिता लहरू नाई निवासी सुरास तहसील हुरडा

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री गोतम कुमार वम्य , वकील वादी

वादपत्र अर्न्तगत धारा–183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–: निर्णय :–

दिनांक– 25.05.2017

1. वादीया के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि ग्राम सुरस पटवार हल्का टौंकरवाड़ तहसील हुरडा की आराजी नम्बर 873 रकबा 03 बीघा 03 विस्वा स्थित होकर राजस्व रेकार्ड मे वादीया के नाम पर दर्ज रेकार्ड है।
2. वादीया गृहणी है और अपने खेत पर कभी कभार ही आ जा सकती है । उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर प्रतिवादीगण ने वादीया की आराजी नम्बर 873 रकबा 03 बीघा 03 विस्वा मे से 02 विस्वा पर प्रतिवादीगण ने नाजायज कब्जा कर लिया तो वादीया ने उसका ओलम्या दिया तथा प्रतिवादीगण को विवादित खेत का कब्जा वादीया को देने हेतु कहा तो उन्होने खेत देने से मना कर दिया । यह जमीन तो हमारी है और हम मालिक है इसके बाद वादीया के द्वारा न्यायालय मे उक्त विवादित आराजियात की स्थायी सीमा चिन्ह करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो प्रकरण सं. 61/2016 के रूप दर्ज होकर दिनांक 09.05.2016 को विवादित आराजियात के मौंके की कब्जे की स्थिति यथावत रखते हुये पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये उसकी पालना मे दिनांक 09.07.2016 को भू.अ.नि. व पटवारी हल्का मौं पर आये तथा पत्थरगढी का मौका पर्चा तरतीव दिया तथा वादीया को नियमानुसार कब्जा लेने हेतु कार्यवाही करने की

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

हिदायत की गई । तदउपरान्त प्रतिवादीगण ने वादीया के स्वामित्व वाली जगह की पूर्व दिशा की तरफ पक्की पुख्ता दिवार बना कर वादीया की जगह को अपने जमीन मे मिला दी।

3. प्रतिवादीगण का वादीया की उक्त आराजी से कोई हक हिस्सा व सरोकार वास्ता न होते हुये भी वादीया की गैर मौजूदगी का फायदा उठा कर कब्जा कर लिया जिसका उसको कोई हक अधिकार नहीं है । इसलिये प्रतिवादीगण को उक्त आराजी से बेदखल कर प्रतिवादीगण द्वारा बनायी गई अवैध दीवार को हटा कर प्रतिवादीगण द्वारा 02 बिस्वा जमीन पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटा कर पुनः वादीया के कब्जेयाबी की डिक्री पारित करना न्यायहित मे आवश्यक है अगर प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादीया की कब्जायाबि की डिक्री पारित नहीं की गई तो वादीया को असहनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकरन नहीं किया जा सकता । अन्त मे कथन किया कि वादीया का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर बेदखली की डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की पारित फरमायी जावें की वाद पत्र कलम नं. 1 मे वर्णित आराजी नम्बर 873 रकबा 03 बीघ 03 बिस्वा मे से 02 बिस्वा प्रतिवादीगण ने नाजायज कब्जा कर दिया और अवैध पक्की दीवार बना दी । उक्त रकबे पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये नाजायज कब्जा व पक्की दीवार को हटा कर प्रतियादीगण को बेदखल फरमाया जावें एवं वादीया को काबिज करा कब्जा दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वादग्रस्त आराजियात पर वाद बेदखली किसी तरह का हस्तक्षेप वादीया के उपयोग उपभोग मे नहीं करने न करावें ।

4. प्रस्तुत वाद पत्र वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादीगण के सम्मन बाद सर्विस न्यायालय मे प्राप्त नही हुये वकील वादी को पुनः सम्मन तलवाना प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

5. तत पश्चात प्रकरण आज लोक अदालत के समक्ष पेश हुआ वकील वादी उपस्थित हुये । वकील वादी के द्वारा प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत मे कराये जाने की इस्तदुआ करने पर वकील वादी की बहस सुनी गई । बक्त बहस वकील ने अपने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि आराजी मुतदावीया वादीया के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजियात है जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा नाजायज रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है । जिसे बेदखल किया जाकर कब्जा वादीया को सुपुर्द करवाये जाने के आदेश फरमाया जावें।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

6. मैने वकील वादी की बहस को सुना बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन किया विवेचन निम्न प्रकार से रहा है । पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी संवत 2071 से 74 मौजा सुरास तहसील हुरड़ा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर 873 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा भूमि लाड देवी पत्नी लादूराम कुम्हार साकिन देह के नाम दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया है ।

7. यहां वादीया का कथन है कि वादग्रस्त आराजियात उनके खातेदारी की आराजियात है जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा नाजायज रूप से 02 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर पक्की दीवार बना रखी है । इसके विपरित प्रतिवादीगण बावजूद सुचना के न तो लोक अदालत केम्प कोर्ट मे उपस्थित हुये और न ही उनके द्वारा कोई जवाब अथवा काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत करवाया गया । ऐसी स्थिति मे वादीया के वाद की पुष्टि स्वतः ही हो जाती है ।

8. चूंकि वादग्रस्त आराजी नम्बर 873 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा भूमि के वादीया खातेदार है वादीया का कथन है कि उनकी आराजियाज पर प्रतिवादीगण ने कब्जा कर पक्की दीवार बना कर अतिकमण कर रखा है इसके विपरित प्रतिवादीगण ने कोई कब्जा व अतिकमण नही होना बताया ऐसी स्थिति मे न्यायालय दावा वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश सुनाया जाना न्यायालय उचित समझता है कि

—:निर्णय:—

दावा वादी डिकी किया जाकर गिरदावर व पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि वह दोनो पक्षों की उपस्थिति मे मौजा सुरास पटवार हल्का टौंकरवाड़ तहसील हुरड़ा की आराजी नम्बर 873 रकवा 03 बीघा 03 बिस्वा भूमि को मौके पर जाकर नपती करें । यदि प्रतिवादीगण का उक्त आराजियात के 02 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जावे तो उसे बेदखल किया जाकर वादीया को कब्जा सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है । तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजियात पर किसी तरह का हस्तक्षेप करने कराने से रुके रहे । तदनुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हों। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 25.05.2017 को खुली अदालत में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

साप्ता

मूल वाद में डिकी

(आदेश-20 के नियम-6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा केम्प कोर्ट टौंकरवाड़

बइजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

वाद संख्या- 5/2015

1. श्रीमती लाड देवी पत्नी लादूराम कुम्हार निवासी सुरास तहसील हुरड़ा

-वादीया

बनाम

महावीर, प्रभु पिता लहरु नाई निवासी सुरास तहसील हुरड़ा

प्रेषिति:-

-प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 183 ,188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से श्री गोतम कुमार बम्ब प्रतिवादी की ओर से रामस्वरूप जोशी की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 25/05/2017 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है । दावा वादी डिकी किया जाकर गिरदावर व पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि वह दोनो पक्षों की उपस्थिति मे मौजा सुरास पटवार हल्का टौंकरवाड़ तहसील हुरड़ा की आराजी नम्बर 873 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा भूमि को मौके पर जाकर नपती करें । यदि प्रतिवादीगण का उक्त आराजियात के 02 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया जावे तो उसे बेदखल किया जाकर वादीया को कब्जा सिपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है । तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजियात पर किसी तरह का हस्तक्षेप करने कराने से रुके रहे ।

और इसके वाद के खर्चे लेखे XXX रू. की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर XXX प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित XXX द्वारा XXX को दी जायें।

यह आज तारीख 25/05/2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा

वाद के खर्चे

वदी	रूपये	पैसे	वादी	रूपये	पैसे
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	01	00	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	00	00
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	01	00	3. प्लीडर की फीस	00	00
4. रूपये पर लीडर की फीस			4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	5. आदेशिका की तामील	00	00
6. कमिश्नर की फीस-तलवाना	01		6. कमिश्नर की फीस		00
7. आदेशिका की तामील					
8. स्टाम्प					
योग:-	05	00		00	00